

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग
(पंचायती राज)

सं. एफ.4 (7) अमे/रूल/लीगल/पी.आर./2014/480

जयपुर, दिनांक 06.7.2015

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नये नियम 182क का अंतःस्थापन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के विद्यमान नियम 182 के पश्चात् और विद्यमान नियम 183 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 182क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-


“182क संकर्मों के लिए विस्तृत प्रक्रिया.- संकर्मों की योजना, मंजूरी और निष्पादन में, प्रत्येक पंचायती राज संस्था और निष्पादन करने वाला कोई अन्य अभिकरण राज्य सरकार द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और निदेशों का पालन करेंगे।”

राज्यपाल के आदेश से,


(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर।
4. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय भुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र(असाधारण) के भाग 4(सी)(जी.एस.आई.आर.) के उपखण्ड 1 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय), पंचायती राज/ग्रामीण विकास विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव (विधि)

(2)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ)

No. F4(7) AM/Rule/Legal/PR/2014/480 Jaipur, Date :06.7.2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely :-


1. Short title and commencement. - (1) these rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Insertion of new rule 182 A.- After the existing rule 182 and before the existing rule 183 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, the following new rule 182 A shall be inserted, namely:-

"**182A Detailed procedure for works.** - In planning, sanction and execution of works, every Panchayati Raj Institution and any other executing agency shall follow the procedure and directions as specified in GRAMIN KARYA NIRDESHIKA issued by the State Government."


By order of the Governor,



(Surender Kumar Solanki)
Joint Secretary to Government

Copy to:-

1. SA to Minister Panchayati Raj, Rajasthan, Jaipur.
2. PS to Pr. Secretary, Rural Development & Panchayati Raj Jaipur.
3. PS to Secy. cum Commissioner, Panchayati Raj., Jaipur.
4. Superintendent, Government Press, Jaipur to publish the notification in part 4 (C)(G.S.I.R) Sub. Div. I of the Rajasthan Extraordinary Gazette.
5. All Officers (Hqr.), Deptt. of Panchayati Raj /Deptt. of Rural Development.
6. Guard file.


Joint Secretary to Government.